International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 09-10-2021, Accepted: 24-10-2021, Published: 10-11-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 17-21

भारत में महिला कैदियों की स्थिति

Amit Verma
Research Scholar, Iswar Saran PG College, University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh, India

सारांश
वर्तमान भारतीय कारागार व्यवस्था का क्रियान्वयन सन् 1894 के कानून के द्वारा होता है जिस कारण आज भी कैदियों के साथ वैसी ही समस्याएं बनी हुई हैं जैसी औपनिवेशिक काल के दौरान बनी हुई थी। यद्यपि समय-समय पर जेलों और कैदियों की स्थिति में सुधार के विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए है लेकिन कारागारों की दयनीय स्थिति, क्षमता से अधिक कैदियों का होना, जेल के भीतर अत्याचार, मानवीय दशाओं का न होना आदि ऐसे गम्भीर विषय भारतीय कारागारों की वास्तविक स्थिति को दर्शाते है। ऐसी समस्याएं तब और भी गम्भीर बन जाती है जब बुजुर्ग, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिला और बच्चे जैसे भेद्य वर्ग (Vulnerable Group) इसके भुक्तभोगी बनते है। इस शोध प्रपत्र में महिला कैदियों की जेल में स्थिति, जेल के भीतर उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार और उनपर पड़ने वाले प्रभावों के साथ उनकी इन समस्याओं का निदान करने के लिए अभी तक किए गए प्रयासों का अध्ययन किया गया है। अंत में लेखक के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए है जिससे वर्तमान के प्रावधानों के अंतर्गत भी महिला कैदियों की स्थिति बेहतर की जा सके।

मूल शब्द: महिला, कैदी, कारागार, अपराध।

प्रस्तावना
प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित नियम-कायदे होते है जिसका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक माना है जिससे समाज सुचारु रूप से चल सके। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था की जाती है। कारागार भी दण्ड की संस्थाओं में से एक है जहाँ दोषी व्यक्ति को समाज से पृथक रखकर अपराधी से समाज की और समाज से अपराधी की रक्षा की जाती है। जेलों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है लेकिन वर्तमान जेलों का उदय 17वीं शताब्दी से माना जाता है लेकिन इनका स्वरूप क्रूरता और यातना का था। यद्यपि समय के साथ इस सोच में बदलाव आया तथा कैदी को भी एक मानव के नाते अधिकार और सुविधा देने के प्रयास किए जाने लगे है। एक आदर्श समाज में कारागार को कैदी के लिए सुरक्षित माना जाता है जहाँ रहकर वे दण्ड के द्वारा अपने कृत्यों का प्रायश्चित करें और सामुदायिक सेवा के द्वारा एक अच्छे व्यक्ति बन सके। लेकिन जेल के भीतर कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार, मारपीट, शोषण जैसी घटनाएं लगातार होती रहती है। इन कारणों से कारागार व्यवस्था अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है। जैसा कि महात्मा गाँधी ने कहा है, "*अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं*" क्योंकि अपराधी समाज के व्यवहार से ही उत्पन्न होते है इसलिए कैदियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रविधि
इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य भारत में महिला कैदियों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी को वर्धित करना है जिससे उनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता को समझा जा सके। इस अध्ययन के द्वारा निम्न प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है कि-

- कारागार में महिला कैदियों द्वारा किन प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है ?
- मौजूदा प्रावधानों के तहत किस प्रकार उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है ?
- किन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है ?

इस अध्ययन में विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से डाटा संकलित किया गया है तथा उनके विश्लेषण के माध्यम से जेलों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित दो रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है –

1. प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया
2. क्राइम इन इंडिया

कारागार में महिलाओं से संबंधित आंकड़े
NCRB के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की जेलों में 478600 कैदी निरुद्ध है जिनमें 458687(95.83%) पुरुष कैदी है वहीं महिला कैदियों की संख्या 19913 (4.16%) है। महिला जेलों में अधिवास दर 56.1% है। देश की 31 महिला जेलों की क्षमता 6511 है, वहीं वास्तव में इन जेलों में 3652 महिला बंद है। महिला जेलों के इतर अन्य प्रकार की जेलों में 21192 महिला कैदियों को निरुद्ध रखने की क्षमता है लेकिन वास्तव में इन जेलों में 16261 महिला कैदी बंद है। 31 दिसम्बर 2019 तक भारत की जेलों 1543 महिला कैदी अपने 1779 बच्चों के साथ निरुद्ध है। इनमें से 1212 महिला कैदी विचाराधीन है जिनके 1409 बच्चे तथा 325 महिला कैदी दोषसिद्ध है जिनके साथ 363 बच्चे जेलों में बंद है।

तालिका 1

वर्ष	कारागारों की संख्या	कैदियों की वास्तविक संख्या **(M+F)**	वर्ष के अंत में कैदियों की संख्या **(M+F)**	वर्ष के अंत में अधिवास दर **(Occupancy Rate)**	महिला जेल में कैदियों की संख्या	महिला कैदियों की कुल संख्या
2014	1387	356561	418536	117.4%	3001	17681
2015	1401	366781	419623	114.4%	2985	17834
2016	1412	380876	433003	113.7%	3122	18498

2017	1361	391574	450696	115.1%	3019	18873
2018	1339	396223	466084	117.6%	3243	19242
2019	1350	403739	478600	118.5%	3652	19913

- प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2019

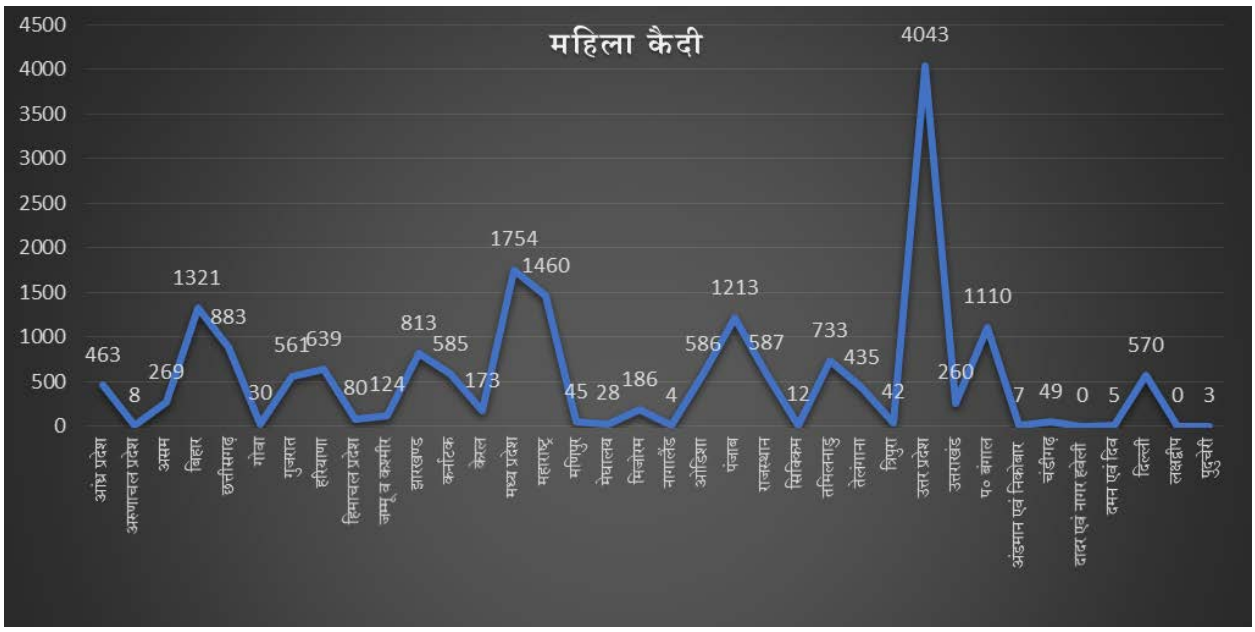

- कुल महिला कैदियों की संख्या – 19913

महिला कैदियों को अभिशासित करने वाले प्रमुख विधान

भारत में कारागार प्रशासन राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार- कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव राज्य सरकार के क्षेत्र में शामिल है। इस कारण भारत में कारागार व्यवस्था के संचालन में एकरूपता का अभाव है क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना जेल मैनुअल है। यद्यपि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से कारागार और कैदियों के संचालन में समानता लानेका प्रयास किया गया है। भारत में महिला कैदियों को विभिन्न कानून, नियम, संधियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एवं विनियमित करतीं है जो निम्नलिखित है-

- भारतीय दण्ड संहिता, 1860
- कारागार अधिनियम, 1894
- बंदी अधिनियम, 1900
- बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920
- बंदी अंतरण अधिनियम, 1950
- भारत का संविधान, 1950
- बंदी न्यायालय में उपस्थिति अधिनियम, 1955
- बंदी परिवीक्षा अधिनियम, 1958
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987
- कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003
- मॉडल जेल मैनुअल, 2003
- मॉडल जेल मैनुअल, 2016[1]

इसके अतिरिक्त भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों , अभिसमयों का समर्थन एवं अनुमोदन करता है जिसका पालन करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, जैसे- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948; कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र का न्यूनतम मानक नियम, 1955; नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR), 1966; आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1976 आदि। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों ने भी महिला कैदियों की स्थिति को प्रभावित किया है।

महिला कैदियों की समस्याएं

भारतीय जेल विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है चाहे वे भौतिक संसाधनों की कमी हो, मानवीय संसाधनों की कमी हो या जेलों की स्थिति सुधारने की इच्छा शक्ति की कमी हो। भारतीय जेलों का संचालन मूलतः आज भी कारागार अधिनियम,1894 के द्वारा किया जाता है इस कारण जेलों का मूल स्वरुप वर्तमान में भी औपनिवेशिक ही बना हुआ है जहाँ कैदियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा दंडात्मक दृष्टिकोण को अधिक मान्यता दी जाती है। समाज में भी कैदियों के प्रति यही हीन दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यद्यपि कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उस पर आरोप सिद्ध न हो जाये लेकिन भारतीय समाज की स्थिति अलग है जिसमें जेल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाता है व उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है विशेषकर उन व्यक्तियों के साथ जो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। हालांकि विभिन्न राज्यों द्वारा जेल मैनुअल में समय-समय पर सुधार किए गए है लेकिन फिर भी अनेक समस्याएं बनी हुई है। महिला कैदियों के साथ यह समस्या और विकट हो जाती है। भारत में महिलाओं को विशेष दर्जा प्राप्त है इसलिए कैदी महिलाओं को सामाजिक कलंक के तौर पर देखा जाता है, नैतिक तौर पर उन्हें बड़ा अपराधी माना जाता है जिस कारण अक्सर उनके परिवार द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश महिला कैदी अपने अधिकारों से अनजान है जिससे उनके शोषण में वृद्धि होती है। आजीविका का अन्य साधन न होने के कारण रिहाई के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जेलों के अध्ययन, जेलों की स्थिति और प्रशासन में सुधार हेतु विभिन्न समितियों, आयोगों, कार्यशील समूहों का गठन किया गया है. जिनमें कुछ निम्न है-

- वाल्टर रेक्लेस की अध्यक्षता में गठित समिति (1957)
- अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, 1980 (जस्टिस ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में)
- राष्ट्रीय महिला बंदी विशेषज्ञ समिति, 1987 (जस्टिस कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में)

इसके बावजूद महिला कैदियों को आज भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला कैदियों की स्थिति में सुधार के विभिन्न माध्यमों को समझने से पूर्व यह जरुरी है की उनकी समस्याओं को समझा जाये जो निम्नलिखित हैं-

शोषण: कैदियों के साथ हिंसा और यातना भारतीय जेलों की एक प्रमुख समस्या है जिसका प्रमुख कारण पुरुषवादी मानसिकता है। यह हिंसा न केवल जेल स्टाफ के द्वारा होती है बल्कि जेल की आतंरिक स्थिति (जहाँ प्रत्येक कैदी स्वयं को अन्य कैदी की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित करना चाहता है) के कारण भी हिंसा व शोषण होता है। महिला कैदियों का शारीरिक शोषण, तलाशी के नाम पर गलत मंशा से किया गया स्पर्श, बलात्कार जैसी घटनाएँ भारतीय जेलों में अक्सर होती रहती है। (एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, 2008).

निजता का उल्लंघन: भारत में बंदी के निजता के अधिकार को अमूमन नकारात्मक रूप में देखा जाता है तथा यह माना जाता है कि कैद में रहते हुए उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निजता का अधिकार स्वयं में स्वतंत्र नहीं है इसे स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। खुले शौचालय स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते है इसलिए यह आवश्यक है कि इन्हें बंद रखा जाये और सुरक्षा व जांच के आधार पर अनावश्यक तौर पर निजता के अधिकार का उल्लंघन न किया जाये।

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या: आमतौर पर कैदियों को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है- प्रथम, कैदी एक स्वतंत्र नागरिक के समान विशेषीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। उनके कैद में रहने से उनपर ऐसी अनेक सीमाएं लग जाती है, वे मनपसंद डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते, किसी समस्या के सम्बन्ध में किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते। द्वितीय, कैद में अनेक अन्य समस्याओं जैसे क्षमता से अधिक कैदी होना, स्वच्छता में कमी आदि के कारण अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है व वे आम स्वतंत्र नागरिक की भांति स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण यह देखा जाता है कि महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है; इस कारण गर्भवती महिला कैदियों को अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। कई बार यह देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भपात, शिशु मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। स्वच्छता में कमी, बैरक की नियमित सफाई न होना, वायु संचार (Ventilation) न हो पाना, पानी की कमी आदि कारणों से मलेरिया, डायरिया, कॉलेरा जैसी बीमारियों का अक्सर जेल में प्रसार होता है व क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण स्वस्थ कैदी को भी अस्वस्थ कैदी के साथ रहना पड़ता है व इससे महिला कैदियों का *निद्रा का अधिकार* बाधित होता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है।[2] *मुल्ला समिति (1980)* ने अपनी रिपोर्ट में जोर दिया था कि जिन जेलों में 25 से अधिक महिला कैदी है वहाँ आवश्यक रूप से महिला डॉक्टर होनी चाहिए। *परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ वाद* (1989)[3] में सर्वोच्च न्यायालय ने ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो निर्दोष हो या सजा लिए जाने योग्य अपराधी, उसे जरूरत के समय मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने से मना नहीं किया जा सकता। वहीं *वीणा सेठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद* (1983)[4] में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 21 को विस्तार देते हुए मानसिक स्वास्थ्य और विशेषकर तीव्र और उचित ट्रायल को व्यक्ति के लिए आवश्यक माना।

पुनर्वास के सम्बन्ध में किये गए प्रयास: सभी जेलों में महिला कैदियों के पुनर्वास हेतु समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए क्योंकि यह सुधार का प्रमुख माध्यम है। चूंकि अधिकांश महिला कैदी आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर होती है जिस कारण यदि उनके परिवार द्वारा उनका त्याग कर दिया जाये तो उनके सामने अपनी आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है, अपनी आजीविका को चलने की लिए वे पुनः अपराध जगत में आ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके पुनर्वास का समुचित प्रबंध किया जाये। वर्तमान में अधिकांश जेलों में अधिकांशतः सिलाई-बुनाई, बेकरी उत्पाद, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, साबुन, डिटर्जेंट उत्पादन जैसे कार्य महिलाओं द्वारा किये जा रहे है। इन कार्यों में सुधार की जरूरत है, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। एक अन्य समस्या महिला कैदियों के साथ यह है कि कार्य के लिए उन्हें पुरुषों के समान भुगतान नहीं किया जाता। इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। पुनर्वास की कमियों के कारण महिला कैदी का पुनर्समाजिकरण नहीं हो पता।

कारागार स्टाफ: जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने तथा समय पर जेल स्टाफ की भर्ती न होने से जेल कर्मचारियों के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है व वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप अत्यधिक दुष्प्रभावित हुए है। कार्यबोझ अधिक होने से वे तनाव, रक्तचाप (BP) का बढ़ना, अपराध व हिंसा रोकने में कठिनाई जैसी समस्याएं बढ़ी है। जेल स्टाफ की निर्धारित संख्या 87599 है जबकि वास्तव में 60787 जेल कर्मचारी कार्यरत है। वहीं वास्तव में महिला जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 7794 है (254 स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित)। मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के अनुसार प्रत्येक छः(6) कैदियों पर एक कर्मचारी होना चाहिए लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो पता। कारागार की एक अन्य समस्या यह है कि जेल कर्मचारी कारागार और कैदियों के प्रबंधन को केवल एक *'सरकारी नौकरी'* की तरह मानते है तथा कैदियों को सुधारने में उनकी रूचि नहीं होती जबकि अपराधी को जेल भेजने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व में सुधार लाना, ईमानदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक बनाकर उसका पुनर्समाजिकरण करना है।[5]

भ्रष्टाचार: जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई नया विषय नहीं है। सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न कैदी जेल में सुख-सुविधाओं का पूरा आनंद लेते है। धन के माध्यम से वे अच्छा भोजन, टी०वी०, मोबाइल जैसी सुविधाओं का उपभोग करते है और अपना रैकेट भी चलाते है। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से कैदियों को उनके स्वजनों से बात करने के लिए धन की उगाही करना जैसी अपराध भी किए जाते है। वहीं सामान्य कैदियों को अपनी रोजमर्रा की चीजें प्राप्त करने में भी समस्या होती है।

कैदियों के बच्चे: महिला कैदियों के सम्बन्ध में चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र जेल में उनके साथ रहने वाले बच्चों का है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के अनुसार जेल में बच्चों को वंचना और आपराधिकता की स्थिति में विकसित होना पड़ता है, साथ ही उचित पोषण का अभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा के अवसर की कमी का सामना करना पड़ता है।[6] बच्चों की देखभाल के लिए विशेष अधिकारी नहीं है जिस कारण महिला कैदियों पर दोहरा कार्यभार पड़ता है, अधिकतर राज्यों में 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे अपनी माँ के साथ रह सकते है। जेल राज्य सूची का विषय होने के कारण अलग-अलग राज्यों में बच्चों के लिए अलग-अलग प्रावधान है फिर भी समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों विशेषकर *आर० डी० उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद*[7] में महिला कैदियों के बच्चों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए है, जैसे- बच्चे के साथ दोषी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए; जेल में बच्चे का जन्म होने पर जन्म प्रमाण-पत्र में जन्म-स्थान जेल नहीं लिखना चाहिए; जेल मैनुअल में संशोधन कर कारागार प्रशासन को गर्भवती महिला कैदियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए; महिला कैदियों को जेल के बाहर प्रसव सुविधा उपलब्ध करने का विकल्प रखना चाहिए, उचित तो यह होगा कि यदि

संभव हो तो दोषी की रिहाई, *पैरोल*, गंभीर अपराध न होने पर सजा माफ़ी जैसे विकल्प अपनाये जाये; जेल में उचित शिक्षा व्यवस्था, क्रेच (crech), नर्सरी हो; न्यायालयों को ऐसी महिलाएं जिनके साथ बच्चे है उनके केस को प्राथमिकता देनी चाहिए।

समाधान

समय के साथ कारागार की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव आये है, पहले कारागार को दण्ड और यातना का एक साधन माना जाता था लेकिन अपराध के कारणों (Crime causation) के सिद्धांतों में आये बदलावों के बाद से यह माना जाने लगा है कि कारागार का प्रमुख उद्देश्य कैदी की मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाना है जिससे वे पुनः अपराध की और उन्मुख न हो। कैदी में सुधार करने की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पहले उस संस्था को सुधारा जाये जहाँ कैदी निरुद्ध किए जाते है तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें ऐसी सुविधा, प्रशिक्षण व अवसर दिया जाये जिससे वे समाज में सभ्य नागरिक की तरह जीवनयापन कर सके। महात्मा गाँधी ने भी कहा है कि 'जेल का स्वरूप व कार्यप्रणाली एक अस्पताल की भांति होनी चाहिए जिसमें यदि कोई रोगी (अपराधी) जाये तो बाहर स्वस्थ (अच्छा नागरिक) होकर आये'। महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्न तरीके अपनाये जा सकते है

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी सूची बनाने का निर्देश दिया है जो समय पूर्व रिहाई के योग्य है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों (हत्या, आतंकवाद आदि से जुड़े कैदी) को शामिल नहीं किया जायेगा। इसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल को अपनाया जाये विशेषकर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसे समय में जब पुलिस और कारागार प्रशासन के पास मानव संसाधनों की कमी है जिससे कैदियों को न्यायालय में ले आना और ले जाना मुश्किल होता जा रहा है यह जरुरी है कि तकनीकी का प्रयोग व्यापक मात्रा में किया जाये, जैसे साधारण अपराध के आरोप में निरुद्ध कैदियों के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जाये इसके लिए अधीनस्थ न्यायालयों और कारागार में सेट-अप तैयार किया जाये। कोविड-19 जैसी महामारी ने तकनीकी के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है जिससे बिना किसी समस्या के सुनवाई हो सके व ऐसी परिस्थिति में भी न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

आधिकारिक और गैर-आधिकारिक विजिट को प्रोत्साहन: विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि समय-समय पर मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जेलों का औचक निरीक्षण करें व कैदी और जेल की स्थिति का जायजा लें जिससे कारागार प्रशासन पर सकारात्मक दबाव बना रहे। महिला कैदियों के लिए गठित *कृष्णा अय्यर समिति* ने गैर-आधिकारिक विजिटर को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी जिससे प्रशासन से स्वतंत्र रह कर महिला कैदी की समस्याओं को जाना जा सके व समाज में तथ्यों को उजागर कर सामाजिक दबाव बनाया जा सके।

बेल प्रणाली में सुधार: IPC तथा CrPC की धाराओं का प्रयोग करके भी जेल में कैदियों की संख्या को कम किया जा सकता है। CrPC की धारा 436A उन कैदियों को जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था करती है जिन्होंने अपने अभियोग के सम्बन्ध में हो सकने वाली अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बीता दिया है। भारत में प्री बार्गेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए इसके लिए 2006 में CrPC में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसके तहत सात वर्ष तक सजा वाले अपराध में आपसी समझौते से मुक़दमे के समाधान का विकल्प दिया गया। आपसी समझौते में यदि व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है उसे आधी सजा ही दी जाएगी। *पैरोल (Parole)* तथा *फर्लो (Furlough)* देने में अधिकारियों को पक्षपात रहित होना चाहिए। *अखिल भारतीय जेल सुधार समिति(1980)*[8] ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय-20 में परिहार (Remission), छुट्टी (Leave), समय पूर्व रिहाई (Premature release) को बढ़ावा देने का समर्थन किया है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार: जेलों में संख्या से अधिक कैदी होने का प्रमुख कारण ट्रायल और न्याय में देरी है जिसके लिए सम्पूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था (पुलिस, न्यायपालिका, विधि सलाहकार) जिम्मेदार है। बहुत से मामलों में पुलिस द्वारा देर में चार्जशीट दायर की जाती है जिसका मुख्य कारण सबूतों और गवाहों को एकत्रित में लगी देरी व पुलिस के कार्यबोझ में अत्यधिक वृद्धि है। यह भी देखा गया है कि सुनवाई में देरी (प्रिजन वैन न होने से कैदियों को न्यायालय ले आने व ले जाने में असमर्थता के कारण) व कैदियों के विधि सलाहकारों द्वारा (विशेषकर गरीब और अशिक्षित कैदियों को सरकार द्वारा मुहैया कराये गए- *अनुच्छेद 39A* के तहत उपलब्ध करायी गयी सुविधा) उचित सलाह न दे पाने के कारण भी विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ती है।

शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना: शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। *चार्ल्स सोबराज बनाम तिहाड़ जेल अधीक्षक वाद (*1978*)*[9] सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यद्यपि 14, 19 और 21 जैसे अनुच्छेदों के तहत कैदियों को उपलब्ध सभी अधिकार सीमित हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित (static) नहीं कहा जा सकता है। अर्थात् अन्य सभी मौलिक अधिकार कैदियों को भी समान रूप से प्राप्त है। इसलिए कारागार प्रशासन का यह कर्त्तव्य है कि जेल में कैदी और बच्चों की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। महिला कैदी को शिक्षा की विशेष जरूरत है क्योंकि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में वे अपने कई अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। *गयासुद्दीन मोहम्मद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद* (1977)[10] में न्यायालय ने जेल में शिक्षा और कार्य के तरीके को विनियमित करने का प्रयास किया और कहा कि शिक्षित कैदियों को मानसिक कार्यों में लगाना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए की समाज की मुख्य धारा में भी उसका उपयोग किया जा सके, *स्किल इंडिया, कौशल विकास योजना* जैसे कार्यक्रम जेलों में भी लागू किए जाने चाहिए।

महिला जेलों की संख्या बढ़ाई जाये: वर्तमान में भारत में मात्र 31 महिला कारागार है जो 15 राज्यों/संघ शासित राज्यों में है। इससे महिला कैदियों को अपने घर से अत्यधिक दूरी पर रहना पड़ता है जिससे उनके स्वजनों को नियमित मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो औसतन महिला कारावास में अधिवास दर कम (71.9%) है लेकिन सभी राज्यों में महिला कारागार न होने से कुछ महिला कारागारों में स्थिति चिंताजनक है। चूँकि महिला कैदियों को विभिन्न केन्द्रीय कारागारों, जिला कारागारों में भी बंदी रखा जाता है इससे वहाँ की स्थिति भिन्न हो जाती है, इन्हें कारागार के भीतर ही अलग क्षेत्र में रखा जाता है इसलिए इसे "जेल के भीतर जेल" भी कहा जाता है। इन कारागारों में औसतन अधिवास दर भी अधिक है तथा इनका कारागार के भीतर स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिला स्टाफ की भर्ती को बढ़ावा दिया जाये व उन्हें कैदियों से डील करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाये व इसके साथ ही जेल बजट में वृद्धि कर अधिक पृथक महिला जेलों का निर्माण किया जाये जिससे महिला जेलों की क्षमता बढ़ने से अन्य जेलों में बंद महिलाओं को महिला जेलों में स्थानांतरित किया जाये व जिससे महिलाओं की भौतिक तथा भावनात्मक सुरक्षा बेहतर हो सके।

- कारागार प्रशासन का भार कम करने का प्रयास किया जाये व स्वास्थ्य जैसे विषयों पर एन०जी०ओ० आदि को प्रोत्साहन दिया जाये जिससे वे मानवता के नाते आगे बढ़कर मदद करें।
- शिकायत समाधान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ महिला कैदी गुप्त रूप से शिकायत दर्ज करा सके, साथ ही निरक्षर कैदियों के लिए शिकायत सुनने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

- विभिन्न आयोगों यथा- राष्ट्रीय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपनी भूमिका में वृद्धि करनी चाहिए तथा जेलों में औचक निरीक्षण, रिपोर्ट्स के माध्यम से महिलाओं व जेल की स्थिति को बेहतर बनाने का सुझाव देना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ाना चाहिए जिससे विभिन्न संगठन और व्यक्ति आगे बढ़कर मदद करें, इसके लिए समाचार चैनलों, अख़बार, सोशल मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। *प्रभा दत्त बनाम भारत संघ वाद* (1982)[11] में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार भी शामिल है और बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जेल प्रशासन द्वारा किसी अपराधी को साक्षात्कार से रोका नहीं जा सकता।
- कारागार विभाग में समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, विशेषज्ञ सलाहकारों की भी भर्ती की जानी चाहिए।

उपसंहार

भारत में महिला कैदियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है (तालिका 1) लेकिन इसके अनुसार जेलों संसाधनों में वृद्धि नहीं हुई है जिस कारण कारागार व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य (कैदियों में सुधार लाना) पूरा नहीं हो पा रहा है। महिला कैदियों को उनके अधिकारों और स्थिति के प्रति जागरूक बनाना जरुरी है। यद्यपि उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास लगातार किए जा रहे है, अनेक कानून, नियम, दिशा-निर्देश दिए गए है फिर भी कई लूप होल (Loop Hole) के कारण महिला कैदियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है; न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण अधिक समय तक जेल में रहना, जेल के भीतर स्वच्छता की कमी, अपर्याप्त सुविधा, जेल में उनके बच्चों की स्थिति, जेल से बाहर निकलने के बाद पुनर्समाजिकरण जैसी अनेक समस्याएं बनी हुई है।

जेलों के सम्बन्ध में यह देखा गया है की कार्यपालिका और विधायिका की अपेक्षा न्यायपालिका ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है, कैदियों के अधिकारों को व्यापकता प्रदान कर कैदियों के मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है। लेकिन कारागार व्यवस्था का मूल उद्देश्य और अपेक्षित लाभ तभी मिल पायेगा जब कारागार प्रशासन भी अपनी भूमिका का पूरी ईमानदारी से निभाए और औपनिवेशिक मानसिकता से बहार आये। न्यायपालिका को भी दण्ड के लिए जेल के अन्य विकल्पों- चेतावनी, आर्थिक दण्ड और जुर्माना, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सेवा में लगाना जैसे साधनों का अधिक उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। महिला कैदियों से संबंधित कानूनों को और सशक्त बनाया जाना चाहिए एवं इसके साथ ही शिकायत समाधान प्रणाली को तीव्र और विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए। अंत में समाज को भी अपने भूमिका में बदलाव लाकर अपने स्तर पर अपराध न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक अपराध का एक सामाजिक कारण भी होता है तथा अपनी सजा पूरी कर चुके अपराधी के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए जिससे वह पुनः अपराध की ओर अग्रसर न हो।

सन्दर्भ सूची

1. कथ्पलिया, गिरीश (2014); क्रिमिनोलॉजी एंड प्रिजन रिफॉर्म्स; लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन; गुडगाँव।
2. जयशंकर, के०; मुखर्जी, टी०; भारद्वाज, प्रीति; आशेर , मेघा देसाई (2014); इंडियन प्रिजन्स: टुवर्ड्स रिफार्मेसन, रेहैबिलीटेसन एण्ड रिसोशलाइजेसन; अटलांटिक पब्लिकेशन; नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव,दीप्ति (2012); बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास; पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय); दिल्ली
4. एन०सी०आर०बी० https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2019-27-08-2020.pdf
5. https://m.thewirehindi.com/article/india-women-prisoners-rights/162850/amp
6. https://www.abplive.com/news/india/more-than-67-percent-of-prisoners-in-the-country-jails-are-hindus-about-18-percent-muslims-govt-data-1772633/amp
7. https://mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf
8. Ramlila Maidan Incident vs. Home Secretary, Union of India
9. AIR 1989 SC 2039
10. AIR 1983 SC 339
11. कथ्पलिया गिरीश (2014), क्रिमिनोलॉजी एंड प्रिजन रिफॉर्म्स, लेक्सिस नेक्सिस, पृ० 193।
12. The Statesman. (2003, March 2). Warder supplied cash, Mobile phone to Ansari.
13. AIR 2006 SC 1946
14. https://mha.gov.in/sites/default/files/Mulla%20Committee%20-implementation%20of%20recommendations%20-Vol%20I.pdf
15. 1978 AIR 1514, 1979 SCR (1) 512
16. 1977 AIR 1926, 1978 SCR (1) 153
17. AIR 1982 SC 6